न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– विविध वाद सं0–53/2013–14 राज्य बनाम छितन राम

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
07.11.2017	*आदेश* प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद संख्या–53/2013–14 छितन राम पे0 स्व0 आनन्दी राम सा0–कंजरी थाना–बेलदौर, जिला खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 1336 दिनांक 11.07.2011 से विछुब्ध होकर समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा दिनांक 06.0713 को पारित आदेश तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के पत्रांक 1756 दिनांक 21.10.13 के आलोक में दाखिल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील में उल्लेख किया गया है कि आपूर्ति अपील वाद संख्या–53/13–14 में समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के बहस सुनने के बाद दिनांक 06.07.13 को आदेश पारित किया गया कि पूर्वोक्त वर्णित आधार अपीलार्थी का कथन कि जॉच की तिथि को अनुज्ञा पदाधिकारी को बिना सूचना दिये बच्चे का इलाज के लिए खगड़िया चले आये, इसकी विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी पूर्ण जॉच कर मुखर आदेश पारित करें। उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 18.10.2013 को आदेश पारित कर अभिलेख वापस कर दिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 के कंडिका ''ख'' में निर्णय लेने का अधिकार जिला पदाधिकारी को दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपने आदेश पर पुनः निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त के आलोक में विविध वाद सं0–53/2013–14 अंगीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि बेचन शर्मा एवं अन्य उपभोक्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय जन शिकायत कोषांग, पटना को आवेदन दिया गया जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को भेजा गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 08.04.2011 को दुकान की जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान बन्द पाया गया, जिसके कारण भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया। सूचनापट्ट संधारित नहीं था। उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा लिखित ब्यान लिया गया। उन्होंने बताया कि जून 2010 से मार्च 2011 (दस माह) में केवल छः माह बी0पी0एल0, अन्त्योदय खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण की गयी शेष चार माह का वितरण नहीं करने के आरोप में अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी और उनके द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया। फलतः	

अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा सर्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के नियम 7 (02 एवं 04) के तहत अपीलार्थी छितन राम के अनुज्ञप्ति संख्या–57बी0/07 को रद्द कर दिया गया।

उनका कहना है कि जॉच की तिथि को वे अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखाने हेतु अचानक खगड़िया चले आने के कारण दुकान बन्द था। सूचना पट्ट पर भंडार एवं वितरण अंकित नहीं किया जा सका। भंडार पंजी अद्यतन वितरण एवं भंडार सही है।

उनका यह भी कहना है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर द्वरा स्थलीय जॉच 18.04.11 को किया गया है। जॉच के क्रम में उक्त पंचायत के 41 उपभोक्ताओं का ब्यान लिया गया, जिसमें सभी उपभोक्ताओं ने उक्त डीलर के द्वारा चावल गेहूँ एवं किरासन तेल सही समय पर एवं सही मूल्य एवं सही मात्रा में देने की बात कही है। साथ ही जॉच रिपोर्ट में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर ने अपने मंतव्य में लिखा है कि जॉच के क्रम में उपभोक्ताओं के ब्यान से स्पष्ट होता है कि डीलर छितन राम दोषी नहीं है। क्योंकि कुपन नहीं देने के कारण उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न विलम्ब से दिया गया। जन वितरण प्रणाली बिक्रेता छितन राम पर लगाया गया सभी आरोप निराधार है तथा डीलर छीतन राम निर्दोष है।

उनका यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बिक्रेता को बिना सुने या जबाब के अनुज्ञप्ति सं0–57बी0/2007 को रद्द किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। उनके द्वारा अनुज्ञप्ति सं0–57बी0/07 को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है बेलदौर प्रखंड अन्तर्गत कंजरी पंचायत के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री छीतन राम के विरूद्ध श्री बेचन शर्मा एवं अन्य उपभोक्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय जन शिकायत कोषांग पटना के संदर्भ संख्या 00001–1401110022 जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 409 दिनांक 06.04.11 से अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को प्राप्त हुआ था, के आलोक में दिनांक 08.04.2011 को अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बिक्रेता की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निर्धारित समय सीमा के अन्दर बिक्रेता बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये। दुकान बन्द पाया गया जिसके कारण दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। सूचना पट्ट संधारित नहीं पाया गया। उपभोक्ताओं से लिखित ब्यान के आधार पर जून 2010 से मार्च 2011 (दस माह) में केवल छः माह बी0पी0एल0 अन्त्योदय खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण करने की बात बतायी गयी। शेष माह वितरण नहीं करने की बात बतायी गयी। उपरोक्त के आलोक मे बिक्रेता छितन राम से अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के कार्यालय ज्ञापांक 855 दिनांक 11.04.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। लेकिन बिक्रेता श्री

छितन राम द्वारा कोई जबाव नहीं प्रस्तुत किया गया। उक्त के आलोक में बिक्रेता पर आरोप सही पाते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के नियम–7 (02 एवं 04) के तहत श्री छितन राम जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0–57बी0/07 को रद्द कर दिया गया।

उक्त अनुमंडल पदाधिकारी, गागरी के आदेश के विरूद्ध बिक्रेता द्वारा समाहर्त्ता, खगड़िया के यहाँ अपील दाखिल किया गया। समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा दिनांक 06.07.13 को पारित आदेश में आदेश दिया गया कि "अपीलार्थी का यह कथन कि जॉच की तिथि को अनुज्ञा पदाधिकारी को बिना सूचना दिये बच्चे के ईलाज के लिए खगड़िया चले आये। आवेदक के कथन एवं इनके कार्यो की विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत होता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को पूर्ण जॉच कर एक मुखर आदेश पारित करने हेतु वाद प्रति प्रेषित किया जाता है"।

अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 18.10.2013 को पारित आदेश पारित कर अभिलेख वापस कर दिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 के कंडिका "ख" में निर्णय लेने का अधिकार जिला पदाधिकारी को दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपने आदेश पर पुनः निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त के आलोक में विविध वाद सं0–53/2013–14 अंगीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

अपीलाथी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि बिक्रेता के विरूद्ध किसी भी स्तर से किसी उपभोक्ता का कोई शिकायत नहीं है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर ने भी जॉच की है और उपभोक्ताओं से ब्यान लिया गया है जिसमें उपभोक्ताओं ने खाद्यान्न एवं किरासन तेल ससमय मिलने की बात कही है तथा छीतन राम को दोषी नहीं पाया है। उनका यह भी कहना था कि जॉच की तिथि को बिक्रेता के अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखाने हेतु अचानक खगड़िया चले आने के कारण दुकान बन्द था। सूचना पट्ट पर भंडार एवं वितरण अंकित नहीं किया जा सका। भंडार पंजी अद्यतन वितरण एवं भंडार सही था। उनके द्वारा बिक्रेता को बिना सुने या जबाब के अनुज्ञप्ति सं0–57बी0/2007 को रद्द किया गया है जो न्यायाचित नहीं है। उनके द्वारा अनुज्ञप्ति सं0–57बी0/2007 को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि पूर्व में समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसमें अपीलार्थी का यह कथन कि जॉच की तिथि को अनुज्ञा पदाधिकारी को बिना सूचना दिये बच्चे के ईलाज के लिए खगड़िया चले आये। आवेदक के कथन एवं इनके कार्यो के विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में अपने बच्चे के इलाज संबंधी कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहाँ तक अपीलार्थी के कार्यो का सम्बन्ध है, अनुमंडल

पदाधिकारी, गोगरी द्वारा बिक्रेता से मांगे गये स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देना बिक्रेता के अनुशासनहीनता को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का यह कहना कि जॉच की तिथि को वे बच्चे के ईलाज के लिए खगड़िया चले आये स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका यह कहना कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर द्वारा दिनाक 18.04.11 को स्थलीय जॉच की गयी थी और उपभोक्ताओं से लिखित ब्यान लिया गया, जिसमें उपभोक्ताओं ने खाद्यान्न एवं किरासन तेल ससमय मिलने की बात कही है और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर ने लिखा है कि छितन राम दोषी नहीं है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में तथाकथित संलग्न जॉच प्रतिवेदन की छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवेदन में जॉच की तिथि 3.9.11 अंकित है तथा प्रतिवेदन दिनांक 18.4.11 में हस्ताक्षरित है। यदि जॉच की तिथि में 3.9.11 की जगह 3.4.11 भी पढ़ा जाय तो प्रतिवेदन में उपभोक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित तिथि दिनांक 16.02.11 है। इससे जॉच प्रतिवेदन की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 1336/दिनांक 11.07.2011 द्वारा बिक्रेता के अनुज्ञप्ति रद्द सम्बन्धी पारित आदेश को यथावत रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

समाहर्त्ता,
खगड़िया